दिनांक	आज्ञा पत्र
23-1-18	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादी सं0-1 से 18 की पैत्रिक आराजी खसरा नं0 158/1, रकबा 1.84 हैक्टर, ख0नं0 158/2 रकबा 1.86 हैक्टर, ख0नं0 161 रकबा 4.31 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 8.01 हैक्टर वाके ग्राम पुरोहितों का बास का पेश किया । जिसका प्रतिवादी संख्या-1 से 18 ने जबाब दावा पेश किया तथा दिनांक 23-6-15 को राजीनामा पेश किया । राजीनामा में अपीलान्ट नोपचन्द ने भी राजीनामा कर हस्ताक्षर किये है । अदालत मातहत ने राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत में कार्य किये जाने के सन्दर्भ में लोक अदालत में मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया गया । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है ।

बहस एवं अपील एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में प्रतिवादी संख्या-1 से 18 ने जबाब दावा पेश कर दावा डिक्री किये जाने की सहमति दी है तथा राजीनामा दिनांक 23-6-2015 में अपीलान्ट ने राजीनामा पर अपने हस्ताक्षर किये है । अदालत मातहत ने मुताबिक राजीनामा अपना निर्णय पारित किया है । राजीनामा पर आधारित निर्णय के विरूद्ध धारा-96(3) सीपीसी के अनुसार अपील का प्रावधान नहीं है । यदि पक्षकार राजीनामा पर हुये निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वो उसी न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं जिसमें उन्होने राजीनामा पेश किया है । राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील धारा-96(3) सीपीसी के अनुसार पोषणीय

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	दिनांक 30-7-2015 यथावत रखा जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय सुनाया गया । 23/1/18 (भंवरलाल मेहरडा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	